अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, रॉंची

अधिहरण वाद सं० 19 आर० 28/2023–24

04
26.12.2023

राज्य

बनाम

आलोक दुबे पिता रणविजय बहादुर दुबे, निवासी –247, एम०आई०जी०, हाउॅसिंग कॉलोनी, आदित्यपुर, सरायकेला–खरसावॉं

.... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, रॉंची के पत्रांक सं० 4870/अप० शा० (ग्रा०) दिनांक 06.09.2023 द्वारा तमाड़ थाना कांड सं0–89/22 दिनांक 18.10.2022 धारा– 4/21 MMDR Rules 1957 & 4/54 of Jharkhand Minor Minerals Concession Rules & 7/11 of Jharkhand Mines and Minerals (Prevention of Illegal Mineral and Transportation & Storage Rule) 2017 में अवैध रूप से बालु के परिवहन करने के आरोप मे जप्त हाईवा वाहन संख्या–(1) JH05-AX-9544, (2) JH05-CX-3791 (3) JH05-AX-6258 को राजसात की कार्रवाई करने हेतु अग्रसारित अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है।

पुलीस अधीक्षक ग्रामीण रॉंची से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार – वादी विश्वनाथ उरॉव, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रॉंची को थाना प्रभारी, तमाड़ के ज्ञापांक 1436/2022 दिनांक 18.10.2022 के द्वारा सुचित किया गया कि तमाड़ थाना प्रभारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बुण्डू के साथ सशस्त्र बल के साथ रात्रि गश्ती के दौरान ग्राम सुन्दरडीह के पास आ रहे उपरोक्त वाहनों को रोका तभी तीनो वाहन के चालकों ने अपने–अपने वाहन (1) JH05-AX-9544, (2) JH05-CX-3791 (3) JH05-AX-6258 को छोड फरार हो गये। जॉच के क्रम मे (1) JH05-AX-9544 पर 700 घनफीट, (2) JH05-CX-3791 पर 700 घनफीट एवं (3) JH05-AX-6258 पर 700 घनफीट बालु लदा पाया गया। वाहन मालिक एवं चालक के द्वारा परिवहन चालान की प्रति/साक्ष्य जॉच के दौरान उपलब्ध नही कराया गया। जॉच के उपरान्त उक्त वाहन मे अवैध रूप से बालु का उठाव एवं परिवहन किया जा रहा था।

उपरोक्त तथ्य के आलोक मे वादी विश्वनाथ उरॉव के द्वारा

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, जिसे तमाड थाना कांड सं० 89/22 के रूप मे पंजीकृत किया गया है। पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन में यह कांड धारा–धारा– 4/21 MMDR Rules 1957 & 4/54 of Jharkhand Minor Minerals Concession Rules & 7/11 of Jharkhand Mines and Minerals (Prevention of Illegal Mineral and Transportation & Storage Rule) 2017 अन्तर्गत जप्त वाहन के चालक एवं मालिक के बिरूद्ध सत्य पाया गया है।

विपक्षी को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया, बावजुद इसके वे इस वाद अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नही हुए। अतः राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् विपक्षी के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए यह वाद अंतिम आदेश पारित करने हेतु निर्धारित किया गया।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहनो मे बालु (लघु खनिज) के अवैध परिवहन से सरकारी राजस्व को क्षति पहुँची है। विपक्षी यह साबित करने के विफल रहे है कि उपरोक्त परिवहन उनके जानकारी के बगैर किया गया है तथा लघु खनिज के अवैध परिवहन मे उनकी संलिप्तता नही है।

अतः पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राँची द्वारा अग्रसारित अनुशंसा के आधार पर तमाड़ थाना कांड सं0–89/22 दिनांक 18.10.2022 में अवैध रूप से बालु के परिवहन करने के आरोप मे जप्त वाहन संख्या–(1) JH05-AX-9544, (2) JH05-CX-3791 (3) JH05-AX-6258 को राजसात किया जाता है।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
राँची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.12.30 02:07:18 -08:00
Location: 192.168.1.4